



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

desktop/Letter Head/Pag. 1

क्रमांक: जविप्रा/लेखा/संस्था/2023/डी-

दिनांक:

:-कार्यालय आदेश:-

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के रोग उपचार/जांच हेतु निम्न तालिका में वर्णित निजी चिकित्सा संस्थानों को तालिका के नीचे वर्णित शर्तों के अध्याधीन प्रथमतः 5 वर्ष अथवा आरजीएचएस से अनुमोदन/सूचीबद्धता (एम्पेनलमेंट) समाप्त होने (जो भी पहले हो) तक के लिए जविप्रा में अनुमोदित/सूचीबद्ध (एम्पेनलड) किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम निजी अस्पताल	चिकित्सालय द्वारा देय छूट	विशेष विवरण
1.	प्रकाश आई हॉस्पिटल, ई-79 गंगा मार्ग, प्रेम नगर झोटवाड़ा, जयपुर।	25%	—
2.	महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।	25%	—
3.	External Heart Care Centre And Research Institute Pvt. Ltd. 3A Jagtpura Road, Near Jawahar Circle, Jaipur	25%	रोग विशेष:- Cardiology/Nephrology/Orthopaedics/CTVS (Only IPD हेतु) Gastroentrology(Only OPD हेतु)

उपरोक्त अस्पतालों द्वारा निर्धारित सामान्य दरों पर उक्त तालिका में अंकितानुसार छूट जविप्रा अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने की शर्त पर ही अस्पताल को उक्त प्रयोजन हेतु अधिकृत माना जायेगा।

उपचार राशि में निम्न सम्मिलित होंगे:-

(क) भुगतान किया गया परामर्श शुल्क

(ख) पैथोलोजिकल टेस्ट, एक्स-रे, ई.सी.जी./एम.आर.आई/सीटी.स्केन/अन्य टेस्ट आदि।

(ग) समस्त प्रकार के ऑपरेशन।

उपरोक्त निजी चिकित्सालयों में अन्तरभीत चिकित्सारत अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया राशि, एस.एम.एस अस्पताल के अन्तरभीत चिकित्सारत अधिकारियों/कर्मचारियों की सीमा तक देय होगी तथा इन चिकित्सालय के जनरल वार्ड के वास्तविक राशि भुगतान, पुनर्भरण देय होगा।

प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु किये गये चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

यह आदेश आयुक्त महोदय से पुष्ट है।

सचिव
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
4. अति.आयुक्त (प्रशासन)/उपायुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
5. अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) जविप्रा, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
9. सम्बन्धित चिकित्सालय
10. नोटिस बोर्ड जविप्रा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।



अति.आयुक्त (प्रशासन)
जविप्रा, जयपुर